

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 100/2025

दिनांक 22/5/25

अनवान

गोपाल सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत वर्मा

निवासी छोटाखेड़ा तह बेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

डुकुत्र सिंह किरा कलेह सिंह राजपूत वर्मा

निवासी छोटाखेड़ा तह बेश

विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करनेः

न्यायालय में अधिवक्ता श्री R.S. अस्ताव के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा छोटाखेड़ा पटवार हल्का मोलीपुरा की आराजी संख्या 18, 34

कुल कीता-0.2 कुल रकबा 1.79.70 ई.

कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा छोटाखेड़ा पटवार हल्का मोलीपुरा की आराजी संख्या 18, 34

कुल कीता-0.2

कुल रकबा 1.79.70 ई. भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण की उपस्थिति में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 25.50/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र

कीता (3)

उपखण्ड अधिकारी, बेगू  
जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 347

प्रार्थना पत्र संख्या 100/25 व अनवान गोपाल सिंह डुकुत्र प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

दिनांक :- 22/5/25

नोट- इस आदेश की प्रतिलिपि आपको अपनी रिपब्लिक व पत्ता नंबर पर लिखित पत्रों के माध्यम से दी जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी, बेगू  
जिला चितौडगढ़(राज.)